

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमित कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

दिनांक- 18.3.2020

विषय- विधि विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्यांश मद अन्तर्गत कुल ₹ 48,00,000/- (अड़तालीस लाख रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।


महाशय,

कार्यपालक अभियंता द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अध्याचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशांसा के आलोक में विधि विभाग की निम्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्यांश मद अन्तर्गत कुल ₹ 48,00,000/- (अड़तालीस लाख रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	स्वीकृतादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, मधुबनी	Construction of Boundary wall of 12 unit PO Quarter at Sub Divisional Court Benipatti in the Dist of Madhubani	236/17.03.16	2800000.00 (अठ्ठाईस लाख रुपये)
2.	भवन प्रमंडल, भभुआ	Construction of 12 P.O Quarter (G+3), 2Block Building Means 24 PO Quarter in Civil Court Bhabhua	9626/04.12. 18	2000000.00 (बीस लाख रुपये)
कुल योग:-				4800000.00
(अड़तालीस लाख रुपये) मात्र।				

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-01-सरकारी रिहायशी भवन, लघुशीर्ष-700-अन्य आवास, उपशीर्ष-0306-ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास

- विपत्र कोड-03-4216017000306 के विषयशीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0306.53.01-मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया जायेगा।
3. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
 4. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
 5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
 6. स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

विश्वासभाजन,

18/3
(अमित कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 2379 (अ)

दिनांक- 18.3.2020

प्रतिलिपि-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



18/3

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 2379 (अ)

दिनांक- 18.3.2020

प्रतिलिपि-सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित मुख्य अभियंता/निदेशक अनुश्रवण/अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिक/संबंधित अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/बजट पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


18/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।